महत्वपूर्ण एवं खास

प्राकृतिक आपदा में जनहानि के एक मामले में प्रभावित परिजन के लिए 4 लाख की राशि स्वीकृत

जशपुरनगर (आरएनएस)। कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने प्राकृतिक आपदा में जनहानि के एक मामले में प्रभावित परिजन को आर.बी.सी. 6-4 के तहत् 04 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृत दी है। कुनकुरी तहसील अंतर्गत ग्राम टांगरहारी निवासी केविक लकड़ा का आकाशीय बिजली बज्रपात से 09 मई 2024 को मृत्यु हो गई। मृतक के निकटतम वारिस उनके पिता फ्लोरेन लकड़ा हेतु 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

लखपति पहल अंतर्गत व्यक्तिगत एवं समूह की महिलाओं को दिया गया मछुआ प्रशिक्षण

जशपुरनगर (आरएनएस)। जनपद पंचायत जशपुर के सभा कक्ष में विगत दिवस लखपति पहल अंतर्गत व्यक्तिगत एवं समूह की महिलाओं को एक दिवसीय मछुआ प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में पहले से मछली पालन करने वालों के साथ-साथ पहली बार मछली पालन प्रारंभ करने वाले महिलाएं भी उपस्थित थे। प्रशिक्षण में मत्स्य विभाग के सहायक संचालक जे.के. पैकरा के निर्देशानुसार महिलाओं को विभाग में संचालित योजना, पालने योग्य मछली, मत्स्य पालन हेतु तालाब की तैयारी, मैन्युरिंग, सीड स्टॉकिंग के साथ-साथ मछलियों से बनने वाले व्यंजनों के बारे में भी जानकारी दी गई।

एसआई भर्ती रिजल्ट जल्द जारी कराने अभ्यर्थियों ने फिर की गृहमंत्री से मांग

रायपुर (आरएनएस)। एसआई अभ्यर्थियों द्वारा अपने रिजल्ट एवं नियुक्ति की मांग और गृह मंत्री जी द्वारा दिये हुए आश्वासन को पूर्ण करने के लिए निवेदन करने गृह मंत्री विजय शर्मा जी से मिलने पुन: पहुँचे हैं। ज्ञात हो कि एसआई रिजल्ट की मांग में आमरण अनशन के पश्चात गृहमंत्री के आश्वासन को मानते हुए अभ्यर्थी शान्ति से 3 बार 2-2 हफ्ते का इंतजार किये। गृह मंत्री के 3 बार आश्वासन के बाद भी आज तक रिजल्ट जारी नहीं किये हैं। रिजल्ट और नियुक्ति की मांग के लिए लगभग 800-1000 अभ्यर्थी राजधानी रायपुर मे गृह मंत्री जी के निवास पहुँच रहे हैं। बिना रिजल्ट लिए नहीं जाएंगे। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके परिवार वाले भी बड़ी संख्या में गृह मंत्री निवास में बैठेंगे।

एसआई भर्ती रिजल्ट जल्द जारी करें सरकार : हाईकोर्ट

रायपुर (आरएनएस)। बिलासपुर. कई महीनों से आंदोलनरत एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए अब हाईकोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है. हाईकोर्ट जस्टिस एन.के. व्यास के सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को 975 पोस्ट के लिए परिणाम जल्द जारी करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने आगामी 15 दिनों के भीतर एसआई भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। बता दें, साल 2021 के अक्टूबर में राज्य सरकार ने 975 पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी किया था. लेकिन अब तक परीक्षा के परिणाम जारी नहीं करने को लेकर अभ्यर्थी कई बार आंदोलन कर चुके हैं. हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब जल्द ही अभ्यर्थियों की परेशानी खत्म होने की उम्मीद है।

सीएम का निर्णय शासकीय कर्मचारियों को अब मिलेगा 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता

रायपुर (आरएनएस)। राज्य सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय ने दीपावली के पूर्व ही राज्य के शासकीय कर्मचारियों को दीपावली का बड़ा उपहार देते हुए उनके महंगाई भत्ते को सीधे 50 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद प्रदेश भर के हजारों-लाखों शासकीय कर्मचारियों को 1 अक्टूबर की तिथि से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के हित में दीपावली के पूर्व बड़ा निर्णय लेते हुए, हमने उनके मंहगाई भत्ता को 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया है।

नगरपालिका आम निर्वाचन 2024-25 हेतु कलेक्टर धर्मेश साहू ने ली राजनीतिक दलों और मीडिया की बैठक

❒ नगरपालिका आम निर्वाचन 2024-25 का किया गया प्रारंभिक प्रकाशन

सारंगढ़ बिलाईगढ़

त्रिस्तरीय पंचायत और नगरपालिका आम निर्वाचन 2024-25 के संबंध में कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों और मीडिया की संयुक्त बैठक ली गई। इस अवसर पर प्रेस प्रतिनिधिगण, राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों में अजय गोपाल, मनोज जायसवाल, हरिनाथ, अरुण मालाकार, राजकुमार अग्रवाल, विकास, नोडल अधिकारी हरिशंकर चौहान, सहायक अधीक्षक कमलकांत स्वर्णकार आदि उपस्थित थे।

बैठक में जानकारी दी गई कि नगरपालिका आम निर्वाचन 2024-25 अंतर्गत जिले में नगर पंचायतों की संख्या 06 है, जहाँ आम निर्वाचन होना है। (1) सरिया, (2) बरमकेला, (3) सरसींवा, (4) भटगांव, (5) पवनी, (6) बिलाईगढ़।

मतदाता सूची की प्रारंभिक प्रकाशन हेतु चिन्हित स्थान-सभी नगर पंचायतों में तया उनके सभी वार्डो के चिन्हित स्थानों में सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार के कार्यालय में एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (अनुविभागीय) अधिकारी सारंगढ़ और बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया

जाएगा। इस निर्वाचन के कार्यालय में 06 नगर पंचायतों के 90 वार्डो की मतदाता सूची का पूनरीक्षण का कार्य किया जाना है। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 16/10/2024 को समय 11 बजे उपरोक्त संबंधित स्थानों में करा दिया गया है। इस प्रारंभिक प्रकाशन में दावा-आपत्ति दिनांक 23.10.2024 की अपराह्न 03 बजे तक लिया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद दावा-आपत्ति नहीं ली जाएगी और इसका निराकरण संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

मतदाता सूची में दावा आपत्ति विधानसभा निर्वाचक नामावली की छुटे नाम को जोड़ने, नाम संशोधन करने, नाम हटाये जाने एवं वार्डों में नाम परिवर्तन करने संबंधी होगी। साथ ही ऐसे नये मतदाता जिन्होंने 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया है, जिनका नाम निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है। वे पहले विधानसभा निर्वाचक नामावली में अपना नाम शामिल कराने के उपरांत ही, नगरीय निकाय की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के पात्र होंगे। ऐसे मतदाताओं के लिये दावा आपत्ति करने की अंतिम तिथि 04.11.2024 सोमवार को अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित है। दावा आपत्ति निराकरण की अंतिम तिथि दिनांक 08/11/2024 है।

दावा आपत्ति का समस्त फार्म सभी नगर पंचायतों एवं सभी नगर पंचायतों के सभी वार्डों के प्राधिकृत कर्मचारी के पास नि:शुल्क उपलब्ध रहेगा। सभी वार्डों में दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति कर दिया गया है। प्राप्त दावे आपत्ति के निराकरण उपरांत 22/11/2024 शुक्रवार को किया जाएगा। निर्वाचक नामावली में सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल कराने के लिए सभी नगर पंचायतों में इस कार्यक्रम के पूर्व जनजागृति लाने का कार्य किया गया है। इसे 'जाबो' कार्यक्रम कहा गया है, जिसका अर्थ जागव बोटर जागव है। कलेक्टर ने राजनीतिक प्रतिनिधियों सहित सर्वसाधारण से अपील की है कि वे निर्वाचक नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन उपरांत उनका नाम मतदाता सूची में है अथवा नहीं उसका अवलोकन ड्राफ्ट प्रकाशन में कर लें। यदि किसी मतदाता का नाम शामिल नहीं है अथवा त्रुटिपूर्ण अंकित है, उस बाबत् आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्राधिकृत कर्मचारी के समक्ष प्रस्तुत करें।

डीएमएफ घोटाले मामले में माया वारियर गिरफ्तार

रायपुर | आरएनएस

ईडी ने छत्तीसगढ़ में हुए डीएमएफ घोटाले में माया वारियर को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा में आदिवासी विकास विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर रहते हुए घोटाले करने का उनके ऊपर आरोप है। बुधवार को ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया और 23 अक्टूबर तक रिमांड पर ले लिया है।

बता दें कि कोरबा आदिवासी विकास विभाग की पूर्व सहायक आयुक्त माया वारियर पर आरोप है कि कोरबा में अपने कार्यकाल के दौरान विभागीय निविदाओं में भ्रष्टाचार करने, अपने चुनिंदा ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने तथा डीएमएफ, राज्य सरकार व केंद्र सरकार से प्राप्त फंड का दुरुपयोग किया गया।

ज्ञात हो कि कोरबा जिले को डीएमएफ के तहत हर वर्ष अरबों की राशि मिलती है। जिला प्रशासन में बैठे उच्चाधिकारियों ने इस रकम का किस तरह इस्तेमाल किया यह जग जाहिर है। पूर्व कलेक्टर रानू साहू के कार्यकाल में माया वारियर सहायक आयुक्त के पद पर रहीं और उन्होंने अपने अधीन हॉस्टल्स और अन्य भवनों में डीएमएफ की रकम का जमकर दुरुपयोग किया। माया वारियर के कार्यकाल के दौरान छात्रावासों के मरम्मत और सामान खरीदी के लिए डीएमएफ के करोड़ो रूपये के फंड का इस्तेमाल किया गया और इसकी मूल नस्ती ही कार्यालय से गायब कर दी गयी। जानकारी के अनुसार 6 करोड़ 62 लाख रूपये में करीब 3 करोड़ रूपये का विभाग ने कई ठेकेदारों को भुगतान भी कर दिया, लेकिन किस काम के एवज में कितना भुगतान किया गया, इससे जुड़े सारे दस्तावेज ही विभाग से गायब कर दिये गये। बताया जा रहा है कि डीएमएफ घोटाले में यह पहली गिरफ्तारी है, मगर कोरबा में अपने कार्यकाल के दौरान आईएएस रानू साहू के ऊपर भी डीएमएफ में गड़बड़ी का आरोप है और वे पहले से ही जेल में हैं। ईडी ने मंगलवार को माया वारियर को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

बताते चलें कि पूर्व में ईडी ने डीएमएफ के मामले में की गई कार्रवाई के दौरान माया वारियर के दुर्ग स्थित निवास पर छापा भी मारा था। इसके अलावा बीते वित्तीय वर्ष में महालेखाकार सीएजी द्वारा कोरबा में डीएमएफ के फंड से किये गए खर्च की ऑडिट भी की गई है। फ़िलहाल यह जानकारी सामने नहीं आ सकी है कि माया वारियर को डीएमएफ के किन कार्यों में घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

तत्कालीन नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण सहित तीन पटवारी निलंबित

रायपुर | आरएनएस

भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम प्रस्तावित इकोनामिक कॉरिडोर का सड़क निर्माण के अनुविभाग अभनपुर अंतर्गत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में निजी भूमि स्वामियों को भू अर्जन के रूप में वास्तविक मुआवजा से अधिक मुआवजा राशि का भुगतान किया जाकर निजी भूमि स्वामियों को अवैध रूप से लाभ पहुंचाया गया था, तथा शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई थी। शासन ने इस मामले में दोषी पाते हुए गोबरा नवापारा जिला रायपुर के तत्कालीन नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण को निलंबित कर दिया है।

बता दे कि लखेश्वर प्रसाद किरण वर्तमान में बिलासपुर जिले में अतिरिक्त तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं। उनके निलंबन का आदेश सीधे राजस्व मंत्रालय से निकला है। इसके अलावा तत्कालीन हल्का पटवारी क्रमांक 49 जितेंद्र साहू तहसील अभनपुर, तत्कालीन हल्का पटवारी हल्का क्रमांक 49 में रहे दिनेश पटेल, तत्कालीन हल्का पटवारी हल्का क्रमांक 24 लेखराम देवांगन को भी निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उक्त अधिकारी-कर्मचारियों का मुख्यालय जिला कार्यालय रायपुर निर्धारित किया गया है।

जोनल स्टेशन में मिला साधू का शव, हत्या की आशंका

बिलासपुर | आरएनएस

बिलासपुर जोनल स्टेशन के प्लेटफार्म छह में एक साधु की लाश मिली है। सूचना पर पहुंची जीआरपी ने शव का पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक की पहचान उसके पास से मिली डायरी के सतना उच्चहेरा निवासी घनश्याम गोस्वामी के रूप में हुई है। डायरी में मिले नंबर के आधार पर उनके शिष्यों को जानकारी दी।

मिली जानकारी के अनुसार जोनल स्टेशन के प्लेटफार्म 6 पर एक साधु की लाश मिलने की खबर है। मृतक के पास से एक डायरी मिली है जिसमें उसकी पहचान सतना उच्चहेरा निवासी घनश्याम गोस्वामी के रूप में हुई है। डायरी में लिखे नंबर के आधार पर जीआरपी पुलिस ने उनके शिष्यों को फोन किया। जिसके बाद वे बिलासपुर स्टेशन पहुंचे। मृतक के शिष्यों ने पुलिस को बताया कि मृतक नवरात्र पर्व में ओडिशा जगन्नाथ पुरी दर्शन के लिए गए थे। जब वहां से लौट रहे थे, तब उन्होंने शिष्यों को जानकारी दी कि उनके पास ढाई लाख रुपये है। पहुंचकर गाड़ी खरीदेंगे। उन्होंने हाथ की उंगलियों में सोने व चांदी की अंगूठी व गले में चांदी की चेन भी पहना था। मृतक के शिष्यों ने हत्या किये जाने की आशंका जाहिर की है। हालांकि जीआरपी मृतक के पास 4,400 रुपये ही मिल है और अंगूठी या चेन नहीं मिला है। शिष्यों के बयान के आधार पर जीआरपी ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।

सिर कुचलकर हत्या करने वाले सीरियल किलर गिरफ्तार

❒ मामूली विवाद पर ई-रिक्शा चालक को भी उतारा मौत के घाट

बिलासपुर-रायपुर | आरएनएस

पुलिस ने एक सीरियल किलर को पकड़ा है। आरोपी 17 साल पहले अपनी पत्नी की हत्या की, फिर अब 2 साल के अंदर में सेम पैटर्न में 2 लोगों को मार डाला। बताया जा रहा है कि आरोपी हथियार का उपयोग नहीं करता। पत्थर से सिर कुचलता है। इस बार तीन लोगों ने मिलकर एक युवक को मारा है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने सरकंडा क्षेत्र के

लिंगियाडीह दुर्गा मंदिर के पास रहने वाले सत्यनारायण की हत्या की है। सत्यनारायण प्रधान ई-रिक्शा चलाता था। अपने परिवार से अलग किराए के मकान में रहता था। मंगलवार की सुबह चिंगराजपारा स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में उसकी खून से लथपथ लाश मिली थी। बिलासपुर में ई-रिक्शा चालक की हत्या केस की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। ई-रिक्शा से ठोकर लगने पर बदमाशों से विवाद हो गया। इस दौरान बदमाशों ने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की थी। वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं 2 अन्य लोग फरार हैं। पुलिस की जांच में पता चला कि सत्यनारायण के चिंगराजपारा में रहने वाले प्रदीप सिंह ठाकुर (36) से विवाद हुआ था। इस पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। प्रदीप अपने घर से गायब था, जिस पर पुलिस का शक गहरा गया। इसी बीच पता चला कि वह शहर से भागने के फिराक में है। जवानों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।

अपार्टमेंट में घुसा भालू, लिफ्ट खोलने की भी कोशिश की, सीसीटीवी में कैद हुआ रोचक वीडियो

कांकेर | आरएनएस

कांकेर शहर में भालुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है. हाल ही में दो भालू कांकेर के एक व्यापारी के घर की पार्किंग में नजर आए. यह घटना पार्किंग एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है.

यह मामला कांकेर वन परिक्षेत्र का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पार्किंग एरिया में दो

भालू घूमते हुए दिख रहे हैं और लिफ्ट में भी घुसने की कोशिश करते हैं. इसी बीच एक युवक स्कूटी से पार्किंग की ओर आता है और मोबाइल पर बात करता रहता है. भालू भी वहीं घूमते रहते हैं, वीडियो में देख ऐसा लग रहा है की भालू युवक को देख लुका छुपी खेल रहे हो. हालांकि युवक को पास में भालू के मौजूद होने की भनक नहीं लगती है. तभी दूसरा युवक स्कूटी से आता है और वह जैसे ही भालू को देखा है तो वहीं गाड़ी छोड़कर तेजी भाग जाता है और उसे देखकर वहां मौजूद दूसरा युवक भी जान बचाकर भागता है.

रोजाना भालुओं के आमद से शहरवासी परेशान है. भालू भोजन-पानी की तलाश में रोजाना आबादी वाले इलाके में पहुंचते हैं. इस तरह की घटना से वन विभाग की ओर से सुरक्षा के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं.

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

रायपुर दक्षिण विधानसभा परिक्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू

❒ रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर हो सकेंगे लोकार्पण-भूमिपूजन के कार्य

रायपुर | आरएनएस

भारत निर्वाचन आयोग ने रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव कुमार सिंह ने आज विधानसभा उप निर्वाचन 2024 के संबंध में कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2024 की घोषणा करने के तत्काल बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता के पालन में रायपुर दक्षिण विधानसभा परिक्षेत्र में ही लागू होगी। कलेक्टर डॉ सिंह ने बताया कि उप-निर्वाचन की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी 25 अक्टूबर तक अपना नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा करा सकेंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उप-निर्वाचन के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को मतों की गणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह ने बताया कि विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के मद्देनजर रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में संयुक्त कलेक्टर पुष्पेन्द्र शर्मा एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में तहसीलदार (शहर) राकेश देवांगन तथा अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर विनोद कुमार साहू की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि रायपुर दक्षिण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 266 मतदान केन्द्र बनाए गए है, जिसमें 253 मूल मतदान तथा 13 सहायक मतदान केन्द्र शामिल है। इसी तरह दक्षिण विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 2 लाख 70 हजार 936 है। इनमें 1 लाख 33 हजार 713 पुरूष, 1 लाख 37 हजार 171 महिला एवं 52 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।

साथ ही दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कुल 1188 दिव्यांग मतदाता, एवं नए मतदाता 5014, इसी तरह 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता 1 हजार 711 तथा 57 सर्विस वोटर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गौरतलब है कि विगत विधानसभा निर्वाचन-2023 से आज दिनांक तक विधानसभा 51 रायपुर दक्षिण में 4.23 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल 10 हजार 988 मतदाता जुडे हैं। इसी प्रकार लोकसभा निर्वाचन 2024 से आज दिनांक तक 1.14 प्रतिशत वृद्धि के साथ 03 हजार 47 मतदाता जुडे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि नाम निर्देशन फॉर्म वितरण कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 1 से एवं नाम निर्देशन कक्ष क्रमांक 9 से किया जाएगा।